

## मुख्य परीक्षा

### त्वरित न्याय और उपभोक्ता न्यायालयों में संकट

#### **संदर्भ**

भारत भर की उपभोक्ता अदालतों में मुकदमों का भारी बैकलॉग है, जिससे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत त्वरित न्याय के बादे को नुकसान पहुंच रहा है।

**भारत में उपभोक्ता न्यायालय के बारे में -**

- **उपभोक्ता न्यायालय अर्ध-न्यायिक निकाय हैं**: जिनकी स्थापना उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापार प्रथाओं, दोषपूर्ण वस्तुओं और दोषपूर्ण सेवाओं के विरुद्ध सरल, त्वरित और कम खर्च में निवारण प्रदान करने के लिए की गई है।
- **कानूनी आधार:** ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अंतर्गत कार्य करते हैं, जिसने 1986 के अधिनियम का स्थान लिया और उपभोक्ता अधिकारों, प्रवर्तन शक्तियों और डिजिटल पहुंच को सुदृढ़ किया।
- **त्रि-स्तरीय संरचना:**
  - **जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग:** यह आयोग उन मामलों को देखता है जिनमें वस्तुओं/सेवाओं के लिए भुगतान की गई राशि ₹50 लाख से अधिक नहीं होती है।
  - **राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग:** यह आयोग ₹50 लाख से अधिक और ₹2 करोड़ तक के मामलों और जिला आयोग के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करता है।
  - **राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC):** यह आयोग ₹2 करोड़ से अधिक के मामलों और राज्य आयोग के आदेशों के विरुद्ध अपीलों का निपटारा करता है।
- **शिकायत कौन दर्ज कर सकता है:** एक व्यक्तिगत उपभोक्ता, उपभोक्ताओं का समूह, पंजीकृत उपभोक्ता संघ, या सरकार।
  - निर्माताओं, विक्रेताओं, सेवा प्रदाताओं और ई-कॉर्मस प्लेटफॉर्म के खिलाफ शिकायत दर्ज की जा सकती है।
- **कवर किए गए विवादों की प्रकृति:** दोषपूर्ण वस्तुएं, कम सेवाएं, अनुचित व्यापार प्रथाएं, भ्रामक विज्ञापन, अधिक कीमत वसूलना और उत्पाद देयता दावे।

**उपभोक्ता न्यायालयों का महत्व -**

- **न्याय तक किफायती पहुंच:** उपभोक्ता महंगे मुकदमेबाजी या अनिवार्य वकीलों के बिना निवारण प्राप्त कर सकते हैं (उदाहरण के लिए, एक खरीदार द्वारा किसी दोषपूर्ण घरेलू उपकरण को चुनौती देना)।
- **अनुचित व्यापार प्रथाओं से सुरक्षा:** अदालतें भ्रामक विज्ञापनों, अधिक शुल्क लेने और झूठे दावों को दंडित करती हैं (उदाहरण के लिए, अतिरंजित स्वास्थ्य या शैक्षिक विज्ञापनों के खिलाफ कार्रवाई)।
- **सेवा प्रदाताओं की जवाबदेही:** बीमा कंपनियों, बैंकों, अस्पतालों और दूरसंचार कंपनियों की कमी वाली सेवाओं के लिए देयता सुनिश्चित करता है (जैसे, विलंबित बीमा दावा निपटान)।
- **बड़ी फर्मों की तुलना में उपभोक्ता सशक्तिकरण:** व्यक्तियों को समान कानूनी स्तर पर शक्तिशाली निगमों से लड़ने में सक्षम बनाता है (उदाहरण के लिए, ई-कॉर्मस रिफंड और गैर-वितरण विवाद)।
- **समयबद्ध विवाद समाधान (कानून में):** वैधानिक समयसीमा का उद्देश्य सिविल अदालतों की तुलना में तेजी से न्याय करना है (उदाहरण के लिए, तकनीकी परीक्षण के बिना प्रतिस्थापन/धनवापसी के मामले)।



- बाजार अनुशासन और विश्वास: दंड और मुआवजे के आदेशों का डर नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं को बढ़ावा देता है और उपभोक्ता विश्वास को बढ़ाता है।

#### **भारत में उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण के लिए सरकार की पहल -**

- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019:** उत्पाद दायित्व को लागू करके, ई-कॉर्मस को शामिल करके और उपभोक्ता आयोगों के माध्यम से समयबद्ध निवारण को अनिवार्य करके कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण किया गया।
- केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA):** केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण अनुचित व्यापार प्रथाओं और भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ कार्य करता है, जिसमें रिकॉल, रिफंड और दंड का आदेश देने की शक्तियां हैं।
- उपभोक्ता न्यायालय (वि-स्टरीय तंत्र):** जिला, राज्य और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग उपभोक्ताओं के लिए न्याय तक सस्ती और विकेंद्रीकृत पहुंच प्रदान करते हैं।
- ई-दाखिल पोर्टल:** उपभोक्ता शिकायतों को ऑनलाइन दाखिल करने, ट्रैक करने और सुनने में सक्षम बनाता है, जिससे भौतिक दौरे और प्रक्रियात्मक बाधाएं कम होती हैं।
- राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH):** एक एकल-बिंदु शिकायत निवारण और परामर्श मंच (टोल-फ्री और डिजिटल) जो मुकदमेबाजी से पहले कंपनियों के साथ विवादों को हल करने में मदद करता है।
- उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम (जागो ग्राहक जागो):** विशेष रूप से भ्रामक विज्ञापनों और धोखाधड़ी के खिलाफ उपभोक्ताओं के अधिकारों, जिम्मेदारियों और उपायों के बारे में नागरिकों को शिक्षित करने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान।

#### **उपभोक्ता न्यायालयों से जुड़े मुद्दे -**

- बड़े ऐमाने पर केस बैकलॉग:** 30 जनवरी 2024 तक देश भर में लंबित उपभोक्ता मामले लगातार 5.4 लाख से ऊपर बने हुए हैं – 5,60,700 (2021), 5,54,809 (2022), 5,43,359 (2023), और 5,43,592, जो सुधार के बजाय संरचनात्मक ठहराव दिखाते हैं।
- मामलों के निपटारे में दाखिल मामलों की तुलना में देरी:** 2024 में, उपभोक्ता आयोगों को 1.73 लाख नए मामले प्राप्त हुए, लेकिन उन्होंने केवल 1.58 लाख मामलों का निपटारा किया, जिससे लंबित मामलों की संख्या में लगभग 14,900 मामले और जुड़ गए; यह प्रवृत्ति 2025 में भी जारी रही, जिसमें दाखिल मामले निपटारे से अधिक थे।
- कर्मचारियों की भारी कमी:** 19 अगस्त 2025 तक, रिक्तियों में राज्य आयोगों में 18 अध्यक्ष और 62 सदस्य शामिल हैं, और जमीनी स्तर पर जिला आयोगों में 218 अध्यक्ष और 518 सदस्य रिक्त होने के साथ स्थिति कहीं अधिक गंभीर है।
- अपर्याप्त बुनियादी ढांचा:** कई आयोग सीमित अदालतों के कक्षों, अपर्याप्त सहायक कर्मचारियों और कमजोर डिजिटल केस प्रबंधन के साथ काम करते हैं, जिससे बढ़ते मामलों के बावजूद दैनिक सुनवाई क्षमता कम हो जाती है।
- बार-बार स्थगन:** नोटिस न मिलने, हलफनामे देर से जमा होने और बार-बार अतिरिक्त समय मांगने जैसी प्रक्रियात्मक देरी के कारण सुनवाई में अक्सर महीनों की देरी हो जाती है।
- वैधानिक समयसीमा का पालन न करना:** उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 में 3-5 महीने के भीतर निपटान अनिवार्य करने के बावजूद, मामले अक्सर कई वर्षों तक खिंचते हैं, जिससे "त्वारित उपभोक्ता न्याय" में जनता का विश्वास कम हो जाता है।

#### **इसके प्रभाव क्या हैं?**


- वित्तीय और भावनात्मक बोझ में वृद्धि:** बार-बार सुनवाई, यात्रा लागत और कार्यदिवसों का नुकसान छोटे उपभोक्ताओं, बुजुर्ग वादियों और दूरदराज के क्षेत्रों के लोगों को असमान रूप से प्रभावित करता है।
- उपभोक्ता विश्वास का क्षरण:** लगातार देरी और स्थगन प्रभावी शिकायत निवारण मंचों के रूप में उपभोक्ता अदालतों में जनता के विश्वास को कमजोर करते हैं।

- **अनुचित प्रथाओं के खिलाफ निवारण में कमी:** जब मामले लंबित रहते हैं, तो व्यवसायों को तत्काल सीमित परिणामों का सामना करना पड़ता है, जिससे बार-बार उल्लंघन और अनैतिक आचरण को प्रोत्साहन मिलता है।
- **न्याय तक पहुंच में असमानता:** बड़े निगम देरी को अवशोषित कर सकते हैं, जबकि व्यक्तिगत उपभोक्ताओं और छोटे उद्यमियों को वैध दावों को आगे बढ़ाने से हतोत्साहित किया जाता है।
- **वैधानिक झरादे को कमजोर करना:** समयसीमा का दीर्घकालिक पालन न करना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के उद्देश्य को कमजोर करता है और समग्र उपभोक्ता संरक्षण शासन को कमजोर करता है।

### आगे की राह -

- **रिक्तियों को समयबद्ध रूप से भरना:** संस्थागत निष्क्रियता को रोकने हेतु क्रण वसूली न्यायाधिकरणों(DRTs) में अपनाए गए न्यायाधिकरण सुधारों की तर्ज पर अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति में समयबद्ध चयन तथा कार्यकाल संरक्षण को अपनाया जाए।
- **सम्पूर्ण डिजिटलकरण (एंड-टू-एंड):** सिंगापुर के स्मॉल क्लेम्स ट्रिब्यूनल्स से प्रेरणा लेते हुए e-Daakhil को स्वचालित नोटिस, वर्चुअल सुनवाई और वाद-आयु (केस-एज) ट्रैकिंग के साथ उन्नत किया जाए।
- **अनिवार्य पूर्व-विवाद मध्यस्थता:** मामलों की आवक कम करने के लिए औपचारिक सुनवाई से पूर्व संरचित मध्यस्थता की व्यवस्था की जाए, जैसा कि यूके की स्मॉल क्लेम्स प्रणाली में प्रचलित है।
- **विशेषीकृत पीठें और विशेषज्ञ सहयोग:** ऑस्ट्रेलिया के उपभोक्ता न्यायाधिकरणों से प्रेरित होकर बीमा, चिकित्सा और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों के लिए क्षेत्र-विशिष्ट पीठों का गठन किया जाए, जिनके साथ पैनलबद्ध विशेषज्ञों का सहयोग हो।
- **समय-सीमाओं का कठोर प्रवर्तन:** वैश्विक वाद-प्रबंधन मानकों के अनुरूप प्रदर्शन डैशबोर्ड और जवाबदेही तंत्र के माध्यम से वैधानिक 3-5 माह की समय-सीमाओं की निगरानी और कड़ाई से प्रवर्तन सुनिश्चित किया जाए।

स्रोत: [द हिंदू](#)



## भारत-अफ्रीका आर्थिक संबंधों की अपार संभावनाओं को उजागर करना

### संदर्भ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुलाई 2025 में नामीबिया और घाना की यात्रा और दिसंबर 2025 में इथियोपिया की यात्रा ने वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के बीच भारत-अफ्रीका आर्थिक संबंधों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया।

### भारत के लिए अफ्रीका का महत्व -

- **रणनीतिक व्यापार विविधीकरण:** भारत-अफ्रीका द्विपक्षीय व्यापार ~100 बिलियन डॉलर का है, जो अफ्रीका को भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनाता है।
  - नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका और तंजानिया के नेतृत्व में अफ्रीका ने भारतीय निर्यात का 38.17 बिलियन डॉलर (वित्त वर्ष 2024) अवशोषित किया।
  - स्थिर पश्चिमी बाजारों की तुलना में अफ्रीका में उच्च वृद्धि की मांग है।
- **विनिर्माण और औद्योगिक अवसर:** अमेरिकी बाजारों में अफ्रीका की तरजीही पहुंच अफ्रीका में विनिर्माण करने वाली भारतीय फर्मों को अनुकूल टैरिफ व्यवस्थाओं से लाभ उठाने की अनुमति देती है।
  - अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र के साथ जुड़ाव 1.4 बिलियन लोगों के एकल बाजार तक पहुंच को सक्षम बनाता है।
- **MSME के विस्तार की क्षमता:** अमेरिकी और यूरोपीय संघ की तुलना में अफ्रीकी बाजार भारतीय MSME के लिए प्रवेश के मामले में कम प्रतिबंधित हैं।
  - फार्मास्यूटिकल्स, कपड़ा, लाइट इंजीनियरिंग, खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्र भारत की एमएसएमई ताकत के अनुरूप हैं।
- **संसाधन और ऊर्जा सुरक्षा:** अफ्रीका महत्वपूर्ण खनिजों, हाइड्रोकार्बन और दुर्लभ मृदा से समृद्ध है, जो भारत के ऊर्जा परिवर्तन और विनिर्माण महत्वाकांक्षाओं के लिए आवश्यक है।
  - खनन और खनिज अन्वेषण दीर्घकालिक रणनीतिक गहराई प्रदान करते हैं।
- **सेवाओं और सॉफ्ट पावर का लाभ:** आईटी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और कौशल विकास में भारत की ताकत सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा दे सकती है, जिनका वर्तमान में अफ्रीका में कम उपयोग हो रहा है।


### भारत-अफ्रीका संबंधों में उभरती चुनौतियां -

- **चीन का बढ़ता प्रभुत्व:** चीन अफ्रीका का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जिसका व्यापार 200 बिलियन डॉलर से अधिक है।
  - अफ्रीका का 21% आयात (2024) चीन से आता है, जबकि ~6% भारत से होता है।
  - अफ्रीका को होने वाले चीनी निर्यात का 33% हिस्सा एचएसएन 84 और 85 (मशीनरी, विद्युत सामग्री, सेमीकंडक्टर) के अंतर्गत आता है, जो भारत के औद्योगिक पिछड़ेपन को उजागर करता है।
- **संकीर्ण निर्यात बास्केट:** भारत का निर्यात पेट्रोलियम उत्पादों, चावल, फार्मास्यूटिकल्स और वस्त्रों में केंद्रित है, जिससे मूल्यवर्धन सीमित हो गया है।
- **कम विनिर्माण पदचिह्न:** भारतीय कंपनियां अफ्रीकी विनिर्माण प्रोत्साहनों का कम उपयोग करती हैं, स्थानीय मूल्य शृंखलाओं में अवसरों को खो देती हैं।
- **व्यापार वित्त और जोखिम बाधाएं:** सीमित ऋण व्यवस्थाएं, उच्च कथित राजनीतिक जोखिम और कमज़ोर व्यापार बीमा तंत्र भारतीय एमएसएमई को रोकते हैं।
- **निवेश बाधाएं:** भारत का अफ्रीका एफडीआई मॉरीशस की ओर झुका हुआ है, अक्सर उत्पादक निवेश के बजाय कर मध्यस्थिता के लिए।
  - राजनीतिक अस्थिरता (जैसे, साहेल क्षेत्र), नौकरशाही बाधाएं, और उच्च वित्तपोषण लागत भारतीय निवेशकों को प्रभावित करती है।

### आगे की राह (रणनीतिक रोडमैप) -

- **व्यापार संरचना सुधार:** अफ्रीकी क्षेत्रीय ब्लॉकों के साथ अधिमान्य व्यापार समझौते (PTAs) और व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPAs) पर वार्ता करना।
  - भारतीय निर्यात को बढ़ाने के लिए AfCFTA के साथ एकीकरण को गहरा करना।
- **विनिर्माण-आधारित जुड़ाव:** अफ्रीका में कमोडिटी निर्यात से संयुक्त विनिर्माण और मूल्य वर्धित उत्पादन में बदलाव।
  - इंजीनियरिंग वस्तुओं, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि-प्रसंस्करण और फार्मास्यूटिकल्स पर ध्यान केंद्रित करना।
- **MSME-केंद्रित व्यापार वित्त:** ऋण रेखाओं (Lines of Credit) का विस्तार करना और MSMEs की पहुँच को सुगम बनाना।
  - राजनीतिक और वाणिज्यिक जोखिम को कम करने के लिए स्थानीय मुद्रा व्यापार को बढ़ावा देना और भारत-अफ्रीका संयुक्त बीमा पूल बनाना।
- **लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना:** माल डुलाई लागत को कम करने के लिए बंदरगाह आधुनिकीकरण, भीतरी इलाकों की कनेक्टिविटी और भारत-अफ्रीका समुद्री गलियारों में निवेश करना।
- **सेवाएं और लोगों से लोगों का विस्तार:** आईटी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और पेशेवर सेवाओं में सेवाओं के व्यापार को बढ़ावा देना।
  - कौशल विकास साझेदारी को अफ्रीकी औद्योगिक आवश्यकताओं के साथ संरेखित करना।
- **सार्वजनिक क्षेत्र का नेतृत्व:** भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को खनन, नवीकरणीय ऊर्जा, बुनियादी ढांचे और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में निवेश का नेतृत्व करना चाहिए, जिससे निजी पूँजी आकर्षित हो सके।

स्रोत: [द हिंदू](#)



## दक्षिणी महासागर कार्बन विसंगति

### **संदर्भ**

दक्षिणी महासागर—जो वैश्विक महासागरीय क्षेत्र का केवल 25–30% भाग घेरने के बावजूद मानव-जनित  $\text{CO}_2$  के महासागरीय अवशोषण का लगभग 40% अवशोषित करता है—ने एक कार्बन सिंक के रूप में अप्रत्याशित स्थायित्व प्रदर्शित किया है।

- दीर्घकालिक जलवायु मॉडल अनुमानों के विपरीत, जिनमें तेज पवनों और अपवेलिंग के कारण इसके कमज़ोर पड़ने की आशंका जाताई गई थी, 2000 के दशक की शुरुआत से प्राप्त प्रेक्षण दर्शाते हैं कि दक्षिणी महासागर ने कम नहीं, बल्कि अधिक कार्बन अवशोषित किया है।

### **विसंगति क्या है? (प्रेक्षित बनाम मॉडलिंग व्यवहार)**

- **मॉडलों का अनुमान:** पश्चिमी पवनों की तीव्रता में वृद्धि → अपवेलिंग का सुदृढ़ीकरण → कार्बन-समृद्ध गहरे जल का सतह तक पहुँचना →  $\text{CO}_2$  का वायुमंडल में उत्सर्जन → कार्बन सिंक का कमज़ोर पड़ना।
- **देखी गई वास्तविकता:**
  - गहरे, कार्बन-समृद्ध जल ऊपर उठे (1990 के दशक से लगभग ~40 मीटर)।
  - उपसतही  $\text{CO}_2$  दाब में लगभग ~10 माइक्रोएट्मॉस्फियर की वृद्धि हुई (जैसा कि मॉडल अपेक्षित करते थे)।
  - फिर भी सतही  $\text{CO}_2$  उत्सर्जन में वृद्धि नहीं हुई; इसके बजाय शुद्ध कार्बन अवशोषण बढ़ा।

→ मॉडलों और प्रेक्षणों के बीच यही विचलन विसंगति है।



### **जलवायु मॉडल क्या चूक गए-**

- **मीठे जल से प्रेरित सतही स्तरीकरण:** अंटार्कटिक हिमनदों के पिघलने में वृद्धि + अधिक वर्षा से सतही जल अधिक मीठा और हल्का हुआ।
  - इससे सतह पर मीठे जल की एक पतली "परत" (lid) बन गई।
- **मजबूत स्तरीकरण ने ऊर्ध्वाधर मिश्रण (Vertical Mixing) को रोका:** मीठे जल की इस परत ने स्तरीकरण को मजबूत किया, जिससे ठंडे एवं उत्प्लावक (buoyant) सतही जल और गर्म, खारे एवं कार्बन-युक्त गहरे जल के बीच अलगाव पैदा हो गया।
  - परिणामस्वरूप, ऊपर आया हुआ कार्बन सतह से 100-200 मीटर नीचे ही फँसा रह गया और वायुमंडल में उत्सर्जित नहीं हो सका।
- **जटिल सूक्ष्म-स्तरीय भौतिकी का अपूर्ण प्रतिनिधित्व:** मॉडल महासागरीय एडिज (Eddies - कुछ किमी चौड़े भंवर), आइस-शेल्फ कैविटी डायनेमिक्स और विभिन्न स्थानिक पैमानों (spatial scales) के बीच की अंतःक्रियाओं को पकड़ने में विफल रहे।
  - साल भर के विश्व दक्षिणी महासागर के अवलोकनों ने इस अंतर को और खराब कर दिया।

### **जलवायु परिवर्तन की समझ पर प्रभाव -**


- **सकारात्मक (अल्पकालिक राहत):** दक्षिणी महासागर वैश्विक जलवायु के लिए एक प्रमुख बफर के रूप में कार्य करना जारी रखता है, जो गर्मी और वायुमंडलीय  $\text{CO}_2$  को अवशोषित करता है।
  - इसने वायुमंडलीय  $\text{CO}_2$  संचय की दर को अस्थायी रूप से धीमा कर दिया है।

- नकारात्मक (मध्यम-दीर्घकालिक जोखिम): 2010 के दशक की शुरुआत से किए गए अवलोकन दर्शाते हैं कि स्तरीकरण की परत पतली हो रही है।
  - दक्षिणी महासागर के कुछ हिस्सों में सतह की लवणता फिर से बढ़ रही है।
  - शक्तिशाली हवाएं जल्द ही मीठे जल की परत के नीचे तक पहुँच सकती हैं, जिससे गहरे कार्बन-युक्त जल का ऊपर की ओर मिश्रण हो सकता है।

**जलवायु नीति और मॉडलिंग के लिए यह क्यों मायने रखता है -**

- यह जलवायु मॉडलों को अमान्य नहीं करता है; बल्कि, मॉडलों ने कमजोरियों (अपवेलिंग, पवन परिवर्तन) की सही पहचान की थी।
  - अवलोकनों ने केवल अस्थायी रूप से स्थिर करने वाली प्रक्रियाओं का खुलासा किया है।
- यह निम्नलिखित की आवश्यकता पर बल देता है:
  - मॉडलों में मीठे जल और बर्फ-महासागर अंतःक्रियाओं का बेहतर प्रतिनिधित्व।
  - निरंतर, साल भर दक्षिणी महासागर की निगरानी
- दक्षिणी महासागर का भविष्य का व्यवहार वैश्विक कार्बन बजट और तापमान वृद्धि के प्रक्षेपवक्र (trajectories) को महत्वपूर्ण रूप से बदल सकता है।

स्रोत: [द हिंदू](#)



## प्रारंभिक परीक्षा

### सुपर किलोनोवा

#### संदर्भ

आईआईटी बॉम्बे और भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (आईआईए), बैंगलुरु के शोधकर्ताओं सहित खगोलविदों की एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने सुपरकिलोनोवा नामक एक दुर्लभ ब्रह्मांडीय विस्फोट के साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं।

#### सुपर किलोनोवा के बारे में -

- सुपरकिलोनोवा एक दुर्लभ और अत्यंत ऊर्जावान ब्रह्मांडीय विस्फोट है जो तब होता है जब एक किलोनोवा को एक अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत द्वारा संचालित किया जाता है, जिससे यह सामान्य किलोनोवा की तुलना में अधिक चमकीला, नीला और अधिक समय तक चलने वाला होता है।
- यह कैसे बनता है:
  - आधारभूत घटना – किलोनोवा: जब दो न्यूट्रॉन तारे आपस में विलीन हो जाते हैं, तो वे न्यूट्रॉन से भरपूर पदार्थ उत्सर्जित करते हैं जिससे भारी रेडियोधर्मी तत्व (जैसे सोना और प्लैटिनम) बनते हैं।
    - इन तत्वों का रेडियोधर्मी क्षय एक अल्पकालिक ऑप्टिकल-इन्फ्रारेड चमक पैदा करता है जिसे किलोनोवा कहा जाता है।
  - सुपरकिलोनोवा → अतिरिक्त ऊर्जा: एक सुपरकिलोनोवा तब होता है जब अतिरिक्त गर्मी या ऊर्जा इस चमक को सामान्य स्तर से पेरे बढ़ा देती है। दो मुख्य तंत्र प्रस्तावित हैं:
    - फॉलबैक हीटिंग: कुछ निष्कासित पदार्थ वापस विलयित वस्तु पर गिरता है, गर्म हो जाता है और निष्कासित पदार्थ को पुनः ऊर्जावान बना देता है।
    - सुपरनोवा + विलय अनुक्रम: एक विशाल तारा सुपरनोवा के रूप में विस्फोट करता है, जिससे दो न्यूट्रॉन तारे बनते हैं जो तेजी से

आपस में विलीन हो जाते हैं, और सुपरनोवा ऊर्जा को किलोनोवा ऊर्जा के साथ मिला देते हैं।

स्रोत: [द हिंदू](#)

### चिल्लाई कलां

#### संदर्भ

चिल्लाई कलां के आगमन के साथ ही कश्मीर धाटी में इस मौसम की पहली बर्फबारी हो चुकी है।

#### चिल्लाई कलां के बारे में -

- यह क्या है: कश्मीर में सबसे कठोर सर्दियों का चरण
- अवधि: 40 दिन
- अवधि: 21 दिसंबर से 30 जनवरी
- तापमान: अक्सर  $0^{\circ}\text{C}$  से नीचे, विशेषकर रात में
- बर्फबारी: मौसम की सबसे भारी बर्फबारी होती है
- महत्व: ग्लेशियरों, जल संसाधनों, कृषि और जल विद्युत के लिए महत्वपूर्ण
- इसके बाद: इसके बाद चिल्लाई खुर्द(20 दिन) और चिल्लाई बच्चे(10 दिन)

स्रोत: [इंडियन एक्सप्रेस](#)

### गरीब कैदियों को सहायता योजना

#### संदर्भ

गृह मंत्रालय (MHA) ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से अपर्याप्त प्रतिक्रिया के कारण गरीब कैदियों को सहायता योजना के दिशानिर्देशों को संशोधित किया है।

#### गरीब कैदियों को सहायता योजना के बारे में -

- शुरूआत: 2023
- केंद्रीय आवंटन: ₹20 करोड़
- अधिकतम सहायता: प्रति कैदी ₹25,000 तक
- उद्देश्य: जुर्माना अदा करने या जमानत देने में असमर्थ गरीब कैदियों/विचाराधीन कैदियों की रिहाई को सक्षम बनाना; जिससे जेलों में भीड़भाड़ कम हो सके।

- नोडल एजेंसी: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी)।
- कवरेज:
  - अदालत द्वारा लगाए गए जुमने का भुगतान करने में असमर्थ दोषी कैदी
  - जमानत बांड/जमानतदार उपलब्ध कराने में असमर्थ पात्र विचाराधीन कैदी
- योजना के तहत बहिष्करण:
  - निम्नलिखित अपराधों को बाहर रखा गया है: भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्स्टेंस एक्ट, 1985, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए)।
  - जघन्य अपराधों में आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले अपराध, दहेज हत्या, बलात्कार, मानव तस्करी और पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराधों को शामिल नहीं किया गया है।
- सहायता का तरीका: रिहाई की सुविधा के लिए वित्तीय सहायता सीधे अदालत में जमा की जाती है।

#### संशोधित कार्यान्वयन तंत्र

- यदि कोई कैदी गरीबी के कारण रिहा नहीं हो पाता है, तो जेल अधीक्षक को एक सप्ताह के भीतर जिला विधि सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को सूचित करना होगा।
- डीएलएसए सचिव वित्तीय स्थिति का सत्यापन करते हैं और मामले की सिफारिश करते हैं।
- जिला स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति सहायता को मंजूरी देती है।
- समिति में शामिल हैं:
  - जिला कलेक्टर द्वारा नामित व्यक्ति
  - जिला न्यायाधीश द्वारा नामित जेल प्रभारी न्यायाधीश

स्रोत: [इंडियन एक्सप्रेस](#)

## कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

### संदर्भ

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) में स्वाभाविक रूप से पर्यावरणीय जिम्मेदारी शामिल है और यह स्वैच्छिक दान का कार्य नहीं है, बल्कि एक संवैधानिक दायित्व है।

### CSR पर हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देश -

- अनुच्छेद 51A(g) नियमों पर लागू होता है: विधिक व्यक्तियों के रूप में कंपनियों पर पर्यावरण संरक्षण का मौलिक कर्तव्य लागू होता है।
- ‘प्रदूषक भुगतान करें’ सिद्धांत का प्रवर्तन: वन्यजीव आवासों को क्षति पहुँचाने वाली कंपनियों को पुनर्स्थापन लागत वहन करनी होगी।
- अनिवार्य संरक्षण फोकस: इन-सीटू और एक्स-सीटू जैव विविधता संरक्षण का समर्थन करने के लिए CSR फंड।
- जलवायु परिवर्तन पर दृष्टिकोण: संकटग्रस्त प्रजातियों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के दीर्घकालिक अध्ययनों को अनिवार्य किया गया है।

### कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के बारे में -

- यह लाभ कमाने से परे सामाजिक, पर्यावरणीय और सतत विकास में योगदान करने के लिए कंपनी की जिम्मेदारी को संदर्भित करता है।
- भारत में कानूनी आधार: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-135 के तहत CSR अनिवार्य है, जो भारत को वैधानिक CSR खेने वाले पहले देशों में से एक बनाता है।
- पात्रता: CSR प्रावधान निम्नलिखित कंपनियों पर लागू होते हैं:
  - कुल संपत्ति  $\geq ₹500$  करोड़, या
  - कारोबार  $\geq ₹1,000$  करोड़, या
  - पिछले वित्तीय वर्ष में शुद्ध लाभ  $\geq ₹5$  करोड़।
- प्रमुख विशेषताएँ:
  - CSR खर्च मानदंड: पात्र कंपनियों को CSR गतिविधियों पर पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% खर्च करना होगा।

- **अनुमेय गतिविधियाँ:** CSR खर्च शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, पर्यावरण संरक्षण, ग्रामीण विकास, लैंगिक समानता और आपदा राहत जैसे क्षेत्रों पर किया जा सकता है।
- **अनुपालन तंत्र:** परियोजना की प्रकृति के आधार पर खर्च न किए गए CSR फंड को एक निर्दिष्ट सरकारी फंड या एक निर्दिष्ट CSR खाते में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।
  - गैर-अनुपालन के लिए दंड लागू होता है।
- **CSR पंजीकरण:** CSR परियोजनाओं को लागू करने वाली संस्थाओं को पारदर्शिता और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) के साथ पंजीकरण करना होगा।

स्रोत: [द हिंदू](#)

### डार्क ईंगल हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणाली

#### संदर्भ

हाल ही में अमेरिकी सेना और नौसेना ने डार्क ईंगल लॉन्च-रेज हाइपरसोनिक वेपन (LRHW) का एकीकृत परीक्षण पूरा किया।

#### डार्क ईंगल हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम के बारे में -

- यह एक अमेरिकी इंटरमीडिएट-रेज, बूस्ट-ग्लाइड हाइपरसोनिक हथियार है जिसे संयुक्त रूप से अमेरिकी सेना (LRHW) और अमेरिकी नौसेना (CPS) के लिए विकसित किया गया है।



- **तंत्र:** रॉकेट बूस्टर त्वरित गति प्रदान करता है → C-HGB पृथक होता है → इसके पश्चात लक्ष्य की ओर अप्रत्याशित रूप से पैंतेरेबाज़ी करते हुए हाइपरसोनिक

वेग से ग्लाइड करता है।

- **गति (Speed):** इसकी गति मैक 5 (Mach 5) से अधिक है; लक्षित समय सीमा के भीतर पहुँचने के लिए क्रूज के दौरान इसके मैक 10 के करीब रहने की संभावना है।
- **लॉन्च प्लेटफार्म:**
  - **सेना:** मोबाइल, भूमि आधारित लॉन्चर
  - **नौसेना:** सतह के जहाज और पनडुब्बियां (पारंपरिक प्रॉम्प्ट स्ट्राइक)

स्रोत: [यूरेशियन टाइम्स](#)

### प्रतिभूति बाजार संहिता (SMC), 2025 विधेयक

#### संदर्भ

प्रतिभूति बाजार संहिता (SMC), 2025 विधेयक लोकसभा में पेश किया गया जो सेबी अधिनियम, 1992, डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 के प्रावधानों को समेकित करेगा।

#### विधेयक के प्रमुख प्रावधान -

- **सेबी बोर्ड का विस्तार:** बोर्ड की संख्या 9 से बढ़कर 15 सदस्य हो गई, जिसमें अध्यक्ष, 2 केंद्र सरकार के नामित, 1 आरबीआई नामांकित व्यक्ति और 11 अन्य सदस्य (न्यूनतम 5 पूर्णकालिक सदस्य) शामिल हैं।
- **प्रतिभूतियों की विस्तारित परिभाषा:** स्पष्ट रूप से हाइब्रिड इंस्ट्रमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीदें, जीरो-कूपन जीरो-प्रिसिपल इंस्ट्रमेंट्स और बहुपक्षीय संस्थानों द्वारा जारी किए गए ऑनशोर रूपी बॉन्ड शामिल हैं; जो "अन्य विनियमित उपकरणों" को सूचीबद्ध करने में सक्षम बनाते हैं।
- **हितों का टकराव और जवाबदेही:** पूर्वाग्रहपूर्ण वित्तीय या अन्य हितों के लिए सेबी बोर्ड के सदस्यों को हटाने में सक्षम बनाता है; परिवार के सदस्यों सहित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हितों के प्रकटीकरण को अनिवार्य करता है।
- **जांच के लिए सीमा अवधि:** सेबी कथित डिफॉल्ट/उल्लंघन की तारीख से 8 साल के बाद निरीक्षण/जांच का आदेश नहीं दे सकता है, प्रणालीगत बाजार प्रभाव या एजेंसी संदर्भों के अपवाद के साथ।
- **निवेशक हितों की सुरक्षा:** एक निवेशक चार्टर को अनिवार्य करता है और एक निवेशक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करता है।

- मामूली चूक को अपराध की श्रेणी से बाहर करना:  
मामूली/प्रक्रियात्मक चूक को नागरिक उल्लंघनों के रूप में पुनर्वर्गीकृत करता है, जो आपराधिक अभियोजन के बजाय मौद्रिक दंड द्वारा दंडनीय है।

स्रोत: [इंडियन एक्सप्रेस](#)



## समाचार में स्थान

### सीरिया



**समाचार?** अमेरिका ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट के दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाते हुए बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए।

#### सीरिया के बारे में -

- **अवस्थिति:** पश्चिम एशिया, पूर्वी भूमध्यसागरीय तट के साथ, लेवांत क्षेत्र में।
- इसकी सीमाएँ तुर्की (उत्तर), इराक (पूर्व), जॉर्डन (दक्षिण) और इजराइल और लेबनान (पश्चिम) से लगती हैं।
  - 1967 के छह दिवसीय युद्ध के दौरान इजरायल ने सीरिया से गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया था।
- **भौगोलिक विशेषताएँ:**
  - **प्रमुख भौतिक क्षेत्र:** सीरियाई रेगिस्तान, फरात नदी घाटी, और लेबनान विरोधी पर्वत (लेबनान के साथ सीमा बनाते हैं)।
  - **प्रमुख नदियाँ:** ओरोंटेस और टाइग्रिस।

स्रोत: [हिंदुस्तान टाइम्स](#)

### कावाची ज्वालामुखी



**समाचार?** वैज्ञानिकों ने इस बात की पुष्टि की है कि कावाची ज्वालामुखी के क्रेटर के अंदर शार्क और अन्य बड़े समुद्री जानवर रहते पाए गए हैं।

#### कावाची ज्वालामुखी के बारे में -

- **प्रकार:** अत्यधिक सक्रिय पनडुब्बी (पानी के नीचे) ज्वालामुखी
- **अवस्थिति:** सोलोमन द्वीप के पास, दक्षिण-पश्चिम प्रशांत महासागर
- **विवरणिक सेटिंग:** एक सबडक्शन क्षेत्र में स्थित है जहां प्रशांत प्लेट इंडो-ऑस्ट्रेलियाई प्लेट के साथ संपर्क करती है
- **गैर-विस्फोट चरणों के दौरान** अपने क्रेटर के अंदर हैमरहेड शार्क, रेशमी शार्क और स्टिंगरे की मेजबानी करता है।

स्रोत: [टीओआई](#)